न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA0103Tajmohmmad etc Vs Hasamdin ets

1. ताजमोहम्मद पुत्र शेरमोहम्मद
2. गफुरखां पुत्र शेरमोहम्मद
3. जिन्नत पत्नी रहीमबक्स
4. इब्राहिम पुत्र रहीमबक्स
5. इलियास पुत्र रहीमबक्स
6. शकुर खां पुत्र रहीमबक्स

जातियान् मुसलमान निवासीगण ग्राम जोड़, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

----- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. हासमदीन पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम जोड़, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 4 दिसंबर 2018 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2018 बअनवान हासमदीन बनाम ताजमोहम्मद इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नाई, अधिवक्ता अपीलाण्ड्स

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 22 नव.,2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2018 बअनवान हासमदीन बनाम ताजमोहम्मद इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 21 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक वादी द्वारा अधीस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम हाजीनगर जोड़ के खसरा नं. 65 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 70 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 75 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 76 रकबा 7 बीघा, खसरा नं. 77 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 78 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 367 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 363 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 368 रकबा 15 बीघा 16 स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। इस भूमि का बाई मिडस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी के हिस्से में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। उक्त वाद के साथ में धारा 212 काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया उस प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों पर अपना ज्यूडिशियल माईंड एप्लाई ही नहीं किया एवं न ही किसी बिन्दु पर अपना कोई निष्कर्ष दिया तथा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है लेकिन मौके पर अपीलार्थीगण वर्षो से अलग काबिज है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक अलग है । मौके को लेकर दोनों पक्षों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादी का केवल सम्पूर्ण खसरों में स्वयं के कथनानुसार 1/6 हिस्सा है, शेष हिस्सा अपीलार्थीगण को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी खसरों के सम्पूर्ण रकबे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है तथा कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा उसे बिना सुने जारी नहीं की जा सकती हैं । विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरांत वादी द्वारा अपीलार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड ए.डी. नोटिस नहीं भेजे तथा विचारण न्यायालयद्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आज भी प्रभावी है इस कारण अपीलार्थीगण के पास माननीय न्यायालय में अपील पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट अपीलार्थीगण को खेती कार्य भी नहीं करने दे रहे है, बहस के दौरान भी अवगत कराया कि मौके पर निर्माणाधीन आवास को भी रुकवा दिया गया है। इस कारण अपीलार्थीगण को अपार नुक्सान हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कानून की नजर में कोई आदेश ही नही है इस आदेश में न तो कोई कारण दर्शाये गये है न किसी बिंदु पर कोई निष्कर्ष दिया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2019 के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई निगरानी मेंटेनेबल नही होने से अपील को 30 दिवस के भीतर निस्तारित करने के आदेश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ खारिज कर दी। अतः अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2019 को निरस्त किया जावे। रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया दिनांक 18.08.2019 को रेस्पोंडेंट संख्या एक ने मौके पर आकर अपीलार्थीगण को धमकी दी कि आप यहां खेती नहीं कर सकते है एवं मकान नही बना सकते, क्योकि न्यायालय ने स्थगन आदेश सभी खसरों पर जारी किया हुआ है। तब अपीलार्थीगण को दिनांक 19.08.2019 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल 19.08.2019 को ही प्राप्त हो गई, उसको पढने पर ही अपीलाधीन आदेशकी प्रथमबार जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी संख्या दो की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री विजय तंवर की उपस्थिति दर्शायी हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किये बगैर ही सीधे माननीय न्यायालय में अपील पेश कर दी गई ।

रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के जवाब में कथन किया अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की भलीभांति जानकारी थी, अपीलाधीन आदेश में वादी-रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता उपस्थित थे। अपील मियाद बाहर पेश की है तथा देरी का कोई सुसंगत कारण नही बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

गया। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाधित एवं पोषणीय नही होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेखों का आघोपांत गम्भीरतपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायहित में अपील अपीलाण्ट मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2018 बअनवान हासमदीन बनाम ताजमोहम्मद इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 दिसंबर 2018 में शिथिलता प्रदान करते हुए अपीलांट ताज मोहम्मद को खेत खसरा नं. 367 में निर्माणधीन आवास का निर्माण कार्य चालू रखने की छूट प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में मुकर्रर आगामी तारीख पेशी पर अपीलांट अप्रार्थीगण जवाबदावा अनिवार्य रूप से पेश करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/19

(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर